

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक : 6/प्रा0 ज0 1 103/2013(खण्ड) 274(काठ) पटना 15 दिनांक : 10/11/17

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, पटना पूर्व / बक्सर / भगुआ।

विषय वर्ष 2017-18 में "मुख्यमंत्री चापाकल योजना" वर्ष 2013-14 के तहत बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पंचायत पाँच तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड तीन, नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड दो तथा नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड एक की दर से नये चापाकलों का निर्माण एवं बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 की दर से चापाकलों के निर्माण तथा निर्मित चापाकलों के अगले तीन वर्ष तक रख रखाव एवं मरम्मत हेतु 24.37 लाख रुपये (चौबीस लाख सैंतीस हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

"मुख्यमंत्री चापाकल योजना" के तहत बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पंचायत पाँच तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड तीन, नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड दो तथा नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड एक की दर से नये चापाकलों का निर्माण एवं बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 की दर से चापाकलों के निर्माण तथा निर्मित चापाकलों के अगले तीन वर्ष तक रख रखाव एवं मरम्मत हेतु विभागीय पत्रांक 6/प्रा0 ज0 1-103/2013 1619 दिनांक 13/09/13 द्वारा 24042.20 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी है। वर्ष 2017-18 के राज्य योजना से चापाकलों के निर्माण तथा निर्मित चापाकलों के अगले तीन वर्ष तक रख रखाव एवं मरम्मत हेतु 24.37 लाख रुपये (चौबीस लाख सैंतीस हजार रुपये) मात्र का आवंटन निम्न तालिका के अनुसार किया जाता है :-

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	नगर निकाय का नाम	कुल वार्डों की संख्या	भौतिक लक्ष्य	आवंटित राशि (लाख रुपये में)	
						अंकों में	शब्दों में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पटना	पटना पूर्व	फतुहा, नगर पंचायत	23	23	1.27	एक लाख सताईस हजार रुपये मात्र।
2	पटना	पटना पूर्व	बखियारपुर, नगर पंचायत	20	20	1.00	एक लाख रुपये मात्र।
3	पटना	पटना पूर्व	खुसरूपुर, नगर पंचायत	10	10	1.00	एक लाख रुपये मात्र।
4	बक्सर	बक्सर	बक्सर, नगर परिषद	34	68	0.80	अरसी हजार रुपये मात्र।
5	बक्सर	बक्सर	डुमरांव, नगर परिषद	26	52	0.30	तीस हजार रुपये मात्र।
6	कैमूर	भगुआ	भगुआ, नगर परिषद	25	50	15.00	पन्द्रह लाख रुपये मात्र।
7	कैमूर	भगुआ	मोहनियाँ, नगर पंचायत	16	16	5.00	पाँच लाख रुपये मात्र।
			कुल	154	239	24.37	चौबीस लाख सैंतीस हजार रुपये मात्र।

2. इस योजना पर होने वाला व्यय बजट का मुख्य शीर्ष 4215 जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष 02 मल-जल तथा सफाई लघु शीर्ष 106 मल जल सेवाएँ मांग संख्या 36 उप शीर्ष 0104 शहरी क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा का सुदृढीकरण विपत्र कोड 36 4215021060104 विषय शीर्ष 0104.53.01 मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्ष में भारितव्य होगा।

3. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व दरों की स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त कर लेंगे।

4. इस आवंटन से होने वाला व्यय राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण किये जाने वाले चापाकलों पर किया जायेगा।

5. इस आवंटन के अन्तर्गत किया जाने वाला व्यय बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता, बिहार वितीय नियमावली एवं इनके अन्तर्गत निर्गत सभी सरकारी आदेश के अनुरूप किया जायेगा।

6. आवंटित राशि का व्यय रवीकृत योजना के अनुसार निम्नलिखित कार्य पर हो किया जायेगा।
भी परिस्थिति में स्थापना या दूसरे मद में इस राशि का खर्च नहीं किया जायेगा।
7. आवंटित राशि वित्त विभाग के पत्रांक एम0 04 05/98 2561 (वि0 2) दिनांक 17-04-98 के अधीन निकासी हेतु विमुक्त है।
8. कार्यों का प्रगति प्रतिवेदन प्रतिमाह की 10वीं तारीख तक मुख्यालय को निर्धारित प्रपत्र में अवश्य भेज देंगे। प्रगति से जिला पदाधिकारी को भी नियमित रूप से अवगत कराते रहेंगे।

(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)
अभियन्ता प्रमुख सह विशेष सचिव

आपांक : 274 (आठ)

पटना, दिनांक : 10/11/17

- प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. विकास आयुक्त / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार / प्रगंडलीय आयुक्त, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, पटना / बक्सर / कैमूर / उप विकास आयुक्त, पटना / बक्सर / कैमूर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. कोषागार पदाधिकारी, पटना / बक्सर / कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. आप्त सचिव, माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
6. सचिव के आप्त सचिव / अभियन्ता प्रमुख सह विशेष सचिव / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक) / क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, पटना / विशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (मो0) / अधीक्षण अभियन्ता, पटना / अधीक्षण अभियन्ता, आरा / अधीक्षण अभियन्ता, सासाराम / उप निदेशक (मू0) को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित / कार्यपालक अभियन्ता (मो0 I) / निदेशक, (जल गुणवत्ता) / सहायक अभियन्ता (मूल्यांकन) / प्रभारी, डाटा सेन्टर (बेवराइट पर प्रकाशन हेतु) / आई0 टी0 मैनेजर / प्रशाखा पदाधिकारी 4, 6 / कार्यवाह सहायक प्रशाखा 6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)
अभियन्ता प्रमुख सह विशेष सचिव

ber

Ramtey